कार्यालय जिला पंचायत, प्रतापगढ़

पत्रांक : 1154 / जि0पं0प्रता0 / नि0अनुभाग / 2017–18 दिनांक 7/3/018

ठेकेदारी पंजीयन / नवीनीकरण की सूचना

जिला पंचायत, प्रतापगढ़ द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यो को संपादित कराने हेतु जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मो को सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2018–19 (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) में पंजीयन नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 07.04.2018 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है एवं इसके अतिरिक्त सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु जो व्यक्ति अपना पंजीयन कराना चाहते है वे भी अपना आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2018 तक प्रस्तुत कर सकते है।

ठेकेदारी पंजीयन / नवीनीकरण की शर्ते निम्नवत् है –

1. पंजीयन / नवीनीकरण में शासनादेश सं0–819 / 33–2–2007–100जी / 2006 दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, (जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त), आयकर, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र, 100 / –रू0 के स्टाम्प पर शपथपत्र–3, बारकाउन्सिल सदस्य एवं जिला पंचायत, प्रतापगढ़ के सदस्य / अध्यक्ष एवं कर्मचारी / अधिकारी के संबंधी न होने का शपथ–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. पंजीयन / नवीनीकरण में निर्धारित शुल्क मु0–7000.00 जमा करना होगा।
3. नवीन पंजीयन स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मु0–50000.00 का राष्ट्रीय बचत पत्र अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रतापगढ़ के पदनाम से बंधक कराकर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

यह विज्ञप्ति वेबसाइड **pratapgarh.nic.in** पर भी देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी कार्य दिवस में जिला पंचायत, प्रतापगढ़ के अभियन्त्रण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

अभियन्ता
जिला पंचायत प्रतापगढ़

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत प्रतापगढ़

अध्यक्ष
जिला पंचायत प्रतापगढ़

पृ0सं0 : 1154 / जि0पं0प्रता0 / 2017–18 तद्दिनांकित् :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
4. सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़।
5. नगर पालिका बेला, प्रतापगढ़।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, प्रतापगढ़ को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 08.01.2007 के क्रम में वेबसाइड **pratapgarh.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. दैनिक समाचार–पत्र अमर उजाला / राष्ट्रीय स्वरूप / लोकमित्र को इस आशय से आपने समाचार–पत्र के प्रतापगढ़ परिशिष्ठ में शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में एक बार विज्ञापन प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में विज्ञापन प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रेषित करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, प्रतापगढ़।